(1)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

निगरानी 2363-PBR-15

1. विनोद पुत्र श्री छत्रपाल सिंह , आयु 50 वर्ष
2. भोलाराम पुत्र श्री छत्रपाल सिंह, आयु 60 वर्ष

निवासीगण ग्राम छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

...... निगरानीटस

श्री ओंकार सिंह तोमर, अभि० 24.7.15

24.7.15

बनाम

1. खलकूराम पुत्र झींगुरिया
2. अतर सिंह पुत्र खलकूराम
3. सीमा पत्नी छोटेलाल

समस्त निवासीगण – ग्राम छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

4. नायब तहसीलदार वृत्त छीमक तहसील डबरा जिला ग्वालियर
5. अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

...... रेस्पोडेंट्गण

24/7/2015

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्व प्रकरण क्रमांक 57/2014–15/~~निगरानी~~ अपील में अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2363–PBR / 15 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–8–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–7–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जबकि उनके द्वारा यह आधार लिया गया था कि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को खुर्द–बुर्द करने की दृष्टि से विक्रय करना चाहते हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को गुण–दोष पर अन्तिम निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण के निराकरण तक उभय पक्ष प्रश्नाधीन भूमि का क्रय–विक्रय नहीं करेंगे । यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	